अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2019-00154RAAJu2019-069RTA223 Mohinidevi Vs Farasaram etc

मोहनीदेवी पुत्री तुलसी पत्नी गंगाराम विश्नोई
निवासी ग्राम कालीराणा नगर, भोजासर, तहसील फलोदी,
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. फरसाराम पुत्र निम्बाराम विश्नोई
2. ओमाराम पुत्र निम्बाराम विश्नोई
3. लादुराम पुत्र निम्बाराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम कालीराणा नगर, तहसील फलोदी,
   जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार फलोदी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी दिनांक 30 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 193/2016 वर्तमान वाद संख्या 294/2018 फरसाराम बनाम सोमाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 30 जुलाई 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलोदी (राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट) द्वारा राजस्व वाद संख्या 294/2018 (मूल वाद संख्या 193/2016) फरसाराम बनाम सोमाराम इत्याद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बांसवाडा नगर पटवारा हळका भींयासर स्थित आराजी खसरा संख्या 841/4 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 841/3 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा पुश्तैनी होना, स्वयं का उक्त आराजियात में ⅓ हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पो. ओमाराम का ⅓ हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पो. लादूराम का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादिनी तुलसी का 1/6 हिस्सा होना जाहिर करते हुए पेश किया और तदनुसार वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा 06 अक्तूबर 2016 को संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी। दिनांक 05 अप्रेल 2017 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या एक व दो क्रमशः ओमाराम एवं लादूराम की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील/अदम तामील नहीं लौटे। दिनांक 16 जनवरी 2018 की आदेशिका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के अनुसार दिनांक 17 जनवरी 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या तीन श्रीमती तुलसी पत्नी निम्बाराम विश्नोई का दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को देहान्त हो चुका था और अपीलाण्ट सहित उसके विधिक वारिसान की सूचना दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके बाद दिनांक 30 जून 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में पारित की गयी, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट की माता तुलसी को मूल वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया था, जिसका दौराने वाद देहान्त हो गया और इसकी सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी थी, इसके उपरान्त भी उसके कायममुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी और अपीलाण्ट को प्रतिवादी तुलसी के कायममुकाम के तौर पर प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एवं उसका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया, किन्तु पत्रावली राजस्व लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाने की सूचना विधिवत पक्षकारान को नहीं दी गयी। इतना ही नहीं, राजस्व लोक अदालत में नियमित वाद में उभयपक्षकारान की परस्पर सहमति के बिना गुणावगुण के मामले पर निस्तारण किया जाकर पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किये जावे। अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बतौर कायममुकाम पक्षकार बनाये

बिना एवं इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाबत कोई आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये गये है, जिससे अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समुचित समय में जानकारी नहीं हो पायी, वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा दिनांक 03 जुलाई 2019 को अपीलाण्ट को उसकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गयी और बताया गया कि न्यायालय से इस भूमि बाबत फैसला करवा लिया है, तब अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु अर्जी पेश की गयी और उसी रोज प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर विधिवत जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है, जो मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. श्री रोशनलाल विश्नोई का कथन है कि प्रतिवादी तुलसी के दो पुत्र बतौर प्रतिवादी संख्या एक व दो पूर्व से ही मूल वाद में पक्षकार मौजूद थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार जारी की गयी है, मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 व 92ए के तहत ही पेश किया गया था, धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई मामला नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 16 जनवरी 2018 तक मात्र प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय में लौट कर नहीं आये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 16 जनवरी 2018 की आदेशिका के अनुसार ही अधिवक्ता-प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या तीन श्रीमती तुलसी पत्नी निम्बाराम विश्नोई का देहान्त दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को हो जाने एवं अपीलाण्ट सहित उसके अन्य वारिसान बाबत जानकारी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार एक मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को बतौर कायममुकामान पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ राजस्व लोक अदालत में मेरिट पर निस्तारण किया जाने से नियमित वाद निस्तारण की निर्धारित विधिक प्रकिया का उल्लंघन होना पाया जाता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अदालत हाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि राजस्व लोक अदालत में उभय पक्षकारान की परस्पर सहमति के आधार पर ही नियमित वाद का निस्तारण किया जा सकता है, किन्तु आलौच्य मामले में अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या तीन के कायममुकाम के तौर पर आववश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रकरण विधिवत प्रकिया अपनाये बिना और बिना कोई नोटिस जारी किये तथा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट का स्थान अंकित किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जो किसी भी दृष्टिकोण से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि दिनांक 30 जून 2018 की आदेशिका के अनुसार "..... वादग्रस्त भूमि वादी की सह हिस्सेदारी की भूमि है, इसलिए राजस्व लोक अदालत में वादी का विभाजन का वाद स्वीकार

योग्य पाया जाता है ..." प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और "पत्रावली वास्ते इन्तजार प्रस्ताव दिनांक -------- को पेश हो।" यानि आगामी तारीख पेशी निर्धारित ही नहीं की गयी है। इसके बाद अगली आदेशिका पुनः दिनांक 30 जून 2018 की रबर-स्टाम्प से "पत्रावली पेश हुई। आज श्रीमान ACM/SDM साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर है। पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली तारीख 13-11-18 को पेश हो।" इससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण में न्यायिक गम्भीरता का सरासर अभाव रहा है और सम्पूर्ण कार्यवाही यंत्रवत की गयी है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या तीन श्रीमती तुलसी पत्नी निम्बाराम विश्नोई का देहान्त दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को हो जाने एवं अपीलाण्ट सहित उसके अन्य वारिसान बाबत जानकारी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, कोई आदेश पारित बिना एवं मृतक प्रतिवादिनी तुलसी के कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना और अपीलाण्ट को उक्त मृतक प्रतिवादिनी के कायममुकाम के तौर पर पक्षकार बनाये बिना ही, अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है और प्रस्तुत अपील मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 जून 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजियात से संबंधित सभी आवश्यक पक्षकारान (मृतक पक्षकार श्रीमती तुलसी के कायममुकामान सहित) को संयोजित करते हुए उन्हे अभिलेख पर लिया जाकर विधिवत उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर मामले में विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/7/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर